



एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर बनाए किसान

बिंदिया दत्त

सहायक प्राध्यापक, कम्युनिटी साइंस महाविद्यालय

चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर

लेखक का मेल: duttbindia@gmail.com

एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तम्भ है जिसने देश के 60 प्रतिशत लोगो को रोजगार दिया है व देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी 17 प्रतिशत भागीदारी है। भारत में कृषि का प्रारम्भ उत्तरपश्चिमीय प्रान्त में 9000 ईसा पूर्व वर्षारोपण, घरेलू स्तर पर फसलों को उगाने व जानवरों के रख रखाव से शुरू हुआ था। धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार इसमें कई बदलाव आते गए जैसे की सिंचाई के स्रोतों को तलाशा गया क्योंकि कृषि मौसम पर आधारित होती है और फसल को सूखे से बचाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है अतः धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार कृषि से जुड़ी विभिन्न जरूरतों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। पुरातन समय में लोग मुख्यतः अपने जीवनयापन के लिए ही खेतीबाड़ी किया करते थे। उस समय कोई वस्तु खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली (बारटर सिस्टम) का प्रचलन था। यह वह प्रणाली होती थी जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया या दिया जाता था। इस समय रुपये-पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अतः इसलिए मनुष्य ने कभी कमर्शियल

एग्रीकल्चर अपनाने को नहीं सोचा परन्तु आज के समय में जीवनयापन हेतु रुपये-पैसे की आवश्यकता होती है। अतः हमारे किसानों को एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में अपनाने की जरूरत है। हमारे देश में मुख्यतः (86.2 प्रतिशत) किसान लघु व सीमांत किसान हैं। अतः आज के समय में रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए व आय अर्जित करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार तीन सामरिक लक्ष्यों पर अपने आप को केंद्रित कर रही है ताकि भारतीय कृषि में परिवर्तन लाया जा सके और यह एक समावेशी परिवर्तन हो जिसमें

1. लघु व सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता व घरेलू आय को बढ़ाना।
2. पूरा साल साफ व पोषक भोजन मिले।
3. कृषि में महिलाओं को सशक्त करना।

लघु व सीमांत किसानों के पास कम व टुकड़ों में जमीने होती है जो एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन में बहुत बड़ा रोड़ा है। क्योंकि एक तरफ वैसे ही इन किसानों के पास खेत कम होते हैं जो सीधे तौर पर कृषि पैदावार पर प्रतिकूल असर डालते हैं तो दूसरी तरफ यह किसान वैसे ही माली रूप से इतने



सम्पन्न नहीं होते हैं कि वह कोई जोखिम ले सके अतः आवश्यकता है इन्हें कृषि में नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने की ताकि वह भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके व अपना अपने ही गाँव में रह कर अच्छी तरह से जीवनयापन कर सके।

एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन के लिए नवीनतम योजनाएं:-

सरकार ने लघु व सीमांत किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने हेतु कई योजनाओं जैसे की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि का आरम्भ किया है जिसके माध्यम से किसान अपनी कृषि में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

(क) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी खेती के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लाट लगाने पर 70 प्रतिशत सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाती है। इसके अलावा फाउटेन प्लाट की 60 प्रतिशत की खरीद सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वह किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की खेती और

जल का स्रोत हो या जो कान्ट्रेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सहकारी सदस्य हो, स्वयं सहायता समूह भी इसका लाभ ले सकते हैं।

(ख) **परम्परागत कृषि विकास योजना:** यह योजना 2015-16 में शुरू की गई है। इस योजना को साइल हेल्थ योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। इसके माध्यम से किसान रसायन मुक्त एवं पोषित भोजन का उत्पादन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बजट आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभार्थी को निर्धारित करना आवश्यक है।

(ग) **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** यह योजना 2015 में शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत फसल की अच्छी पैदावार हेतु किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। इसमें किसानों की मिट्टी की जाँच 3 साल में एक बार की जाती है। इस योजना के माध्यम से मिट्टी की सेहत जाँची जाती है अतः उसके अनुसार उचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके और खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(घ) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** यह योजना 2016 में शुरू की गई है। इसका लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का



समर्थन करना है। इस योजना के माध्यम से अप्रत्याशित घटनाओं से फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना व कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में योगदान देना है।

एगीकल्चर कमर्शियलाइजेशन के लिए नवीनतम तकनीकें:-

(क) अनुबंध खेती (कांटेक्ट फार्मिंग) - इसका मतलब यह है कि किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इस खेती में किसान को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल को कोन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खेती में उपयोग होने वाले सभी सामान जैसे कि बीज, फर्टिलाइजर, सिंचाई के माध्यम सब कुछ कांटेक्टरस द्वारा मुहैया कराया जाता है व वह ही यह तय करता है कि किसान किस प्रकार से खेती करे, फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसके डिलीवरी का समय फसल

उगाने से पहले ही तय हो जाता है। इस फार्मिंग के माध्यम से खेती अधिक संगठित बनेगी। कृषि उत्पादकता का किसानों को बेहतर भाव मिलेगा व बाजार के उतार-चढ़ाव के भाव के जोखिम से किसान मुक्त रहेगा।

प्रबंधन के दृष्टीकोण से अनुबंध खेती दो प्रकार की होती है:-

1. सीमित प्रबंधन अनुबंध - इसके तहत किसान को उत्पादन इनपुट मिलता है और वह फर्म को उपज बेचता है। उपज की कीमत की कोई इनपुट नहीं होती है।
2. पूर्व प्रबंधन अनुबंध - इसके तहत किसान और फर्म में उत्पादन की निश्चित मात्रा के लिए अनुबंध किया होता है। इस तरह के अनुबंध में मौसम से पहले कीमत की घोषणा की जाती है। जिससे कीमत जोखिम कम हो जाता है। फर्म उत्पाद के लिए बाजार प्रदान करती है बशर्ते कि गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा किया जाए।

कान्ट्रेक्ट फार्मिंग में बहुत आवश्यक है कि किसान और कान्ट्रेक्टर के बीच आनलाइन रजिस्ट्रेशन हो दोनों पक्षों में कोई भी जानकारी, नियम या शर्त छिपी नहीं होनी चाहिए। किसान और कंपनी के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए।

(ख) **किसान उत्पादन संगठन:-** किसान उत्पादन संगठन किसानों का एक ऐसा समूह होता है जहाँ वह एकजुट होकर अपनी कृषि के सभी कार्य करते हैं। इन संगठनों से जुड़कर किसान निश्चित होकर कृषि कार्यों के



साथ-साथ अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। इसके माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस सामान के लिए किसान अकेला बाजार का व दुकानों का चक्कर काटता है वह सारा कृषि संबंधित सामान घर द्वार बिना किसी समस्या के उपलब्ध हो जाता है। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य किसानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ इस संगठन के सदस्य अपनी गतिविधियों का प्रबंधन स्वयं करके नई तकनीकें अपना सकते हैं व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा बाजारों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। यह लघु व सीमांत किसानों को कृषि क्षेत्र से जोड़े रखने व उनकी आय को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

कृषि संबंधी सहायता हेतु डिजिटल माध्यमों का उपयोग:-

(क) **कृषि सारथी:-** यह एक डिजिटल प्लेटफार्म (WWW.Kisansarthi.in) है जो किसान भाइयों की मदद के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा चलाया गया है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से किसानों व हितधारकों को कृषि वैज्ञानिक केन्द्र के वैज्ञानिकों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है जिसके द्वारा उन्हें अपनी खेती में आ रही समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से

ठोस समाधान तुरंत प्रभाव से मिलता है। इसके लिए किसानों को पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा और उन्हें अपने व्यवसाय व भाषा का चयन करना होगा ताकि उनकी समस्याओं का समाधान उसी भाषा में किया जाए।

(ख) **ई-नाम पोर्टल:-** यह एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए आनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध करवाया गया है, जहाँ पर किसान अपनी फसलों को आनलाइन अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इसके माध्यम से किसान, व्यापारी व खरीददार को एक मंच पर लाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। इस पोर्टल पर किसानों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान का विवरण भी उपलब्ध करवाया जाता है।

अतः यह कह सकते हैं कि आज के समय की माँग है कि किसानों को कृषि में आधुनिकता अपनाने की आवश्यकता है। उनके लिए बनाई गई लाभदायक योजनाओं और डिजिटल माध्यमों से उन्हें अवगत रहना चाहिए ताकि वह बदलते समय में कृषि करने के तरीकों में भी बदलाव लाए और खेतीबाड़ी को अपनाते हुए लाभ उठाए और अपनी और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएं।